प्रस्तावना

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सामान्य

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में राज्य सरकार की कम्पनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के पीएसयूज की स्थापना जन–कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों के संचालन के लिये की गयी है तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। 31 मार्च 2019 तक, उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 114 पीएसयूज थे, जिनमें छः सांविधिक निगम[1] एवं 108 सरकारी कम्पनियां (जिनमें 46 अकार्यरत सरकारी कम्पनियां सम्मिलित हैं) थीं। वर्ष 2018–19 के दौरान सात नई कम्पनियो को शामिल किया गया। इनमे से कोई भी सरकारी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष के दौरान किसी भी पीएसयूज को बंद या अन्य पीएसयूज में समामेलित नहीं किया गया था।

2. उत्तर प्रदेश में पीएसयूज की प्रकृति एवं उनके लेखाओं की स्थिति **तालिका 1** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1: उत्तर प्रदेश में पीएसयूज की प्रकृति

पीएसयूज की प्रकृति	कुल संख्या	पीएसयूज की संख्या जिनके लेखे रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त हुए				पीएसयूज की संख्या जिनके लेखे 31 दिसंबर 2019 को बकाया थे (बकाया कुल लेखे)
		2018–19[2] तक के लेखे	2017–18 तक के लेखे	2016–17 तक के लेखे	कुल	
कार्यरत सरकारी कम्पनियां[3]	62	15	15	25	55	47 (204)
सांविधिक निगम	6	1	3	6	10	5 (12)
कुल कार्यरत पीएसयूज	**68**	**16**	**18**	**31**	**65**	**52 (216)**
अकार्यरत सरकारी कम्पनियां	46	3	4	6	13	41[4] (654)
कुल	**114**	**19**	**22**	**37**	**78**	**93 (870)**

इस प्रतिवेदन में 31 दिसंबर 2019 तक के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर 35 पीएसयूज के वित्तीय निष्पादन को शामिल किया गया है। इस अध्याय में 79 पीएसयूज (सरकार नियंत्रित सात कम्पनियों सहित) शामिल नहीं हैं जिनके लेखे तीन साल या उससे अधिक समय से बकाया हैं या वे अकार्यरत/परिसमापन में हैं या जिनके प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे जिनका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट–3.2* एंव *तालिका–1.2 (अध्याय–1)*** में हैं। इस अध्याय में शामिल पीएसयूज ने 31 दिसंबर 2019 तक अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 71,473 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2018–19 के लिए राज्य

---

[1] उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम।

[2] 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2019 तक।

[3] सरकारी पीएसयूज में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) तथा 139(7) में संदर्भित सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां शामिल हैं।

[4] दो पीएसयू परिसमापन के अधीन हैं, जिनके कोई भी लेखें परिसमापन में जाने की तारीख तक शेष नहीं हैं।

सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (₹ 15,42,432 करोड़) के 4.63 प्रतिशत के बराबर था। इस प्रतिवेदन में शामिल पीएसयूज ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 14,441.44 करोड़ की हानि उठाई। मार्च 2019 को इन पीएसयूज में लगभग 76,500 कर्मचारी कार्यरत थे।

31 मार्च 2019 को, 46 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के तीन पीएसयूज एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 43 पीएसयूज) अकार्यरत थे, जिनमें ₹ 1,774.04 करोड़ के कुल निवेश है, जिसमें पूँजी (₹ 1,051.52 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 722.52 करोड़) सम्मिलित थे। अकार्यरत पीएसयूज में ऊर्जा क्षेत्र के दो पीएसयूज थे जिनका परिसमापन (अप्रैल 2019) हो गया था एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 12 पीएसयूज जो कि परिसमापन के अधीन थे, शामिल है।

शेष 32 अकार्यरत पीएसयूज को बंद करने के सम्बंध में सरकार उचित निर्णय ले सकती है।

जवाबदेही तन्त्र

3. सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 एवं 143 के द्वारा शासित होती है। अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत अंश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार के द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रित, किसी अन्य कम्पनी[5] को इस प्रतिवेदन में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सीएजी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के एक सौ अस्सी दिनों के अन्दर की जानी चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सीएजी द्वारा प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति कम्पनी के पंजीकरण की तिथि से साठ दिनों के अन्दर की जानी चाहिए एवं यदि उल्लिखित अवधि में सीएजी द्वारा इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो कम्पनी के निदेशक मण्डल अथवा कम्पनी के सदस्यों द्वारा इस प्रकार के लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।

साथ ही, अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 7 के अनुसार, धारा 139 (5) या (7) के अन्तर्गत आने वाली कम्पनी के प्रकरण में सीएजी, यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कम्पनी के लेखाओं की नमूना जाँच करवा सकते हैं तथा नमूना जाँच के प्रतिवेदन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी अथवा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित कोई अन्य कम्पनी सीएजी

[5] कम्पनी (कठिनाइयों का निवारण) सातवां आदेश 2014 दिनांक 4 सितंबर 2014 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी।

द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। किसी कम्पनी के 31 मार्च 2014 को अथवा उससे पूर्व शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों से सम्बंधित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों अन्तर्गत शासित होती रहेगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

4. सरकारी कम्पनियों (अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अन्य प्रपत्रों के साथ कम्पनी के वित्तीय विवरण को शामिल करते हुए प्रस्तुत करते हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों की अवधि के अन्दर अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अन्तर्गत ये वित्तीय विवरण, सीएजी द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके सम्बंधित विधानों के द्वारा शासित होती है। छः सांविधिक निगमों में से चार निगमों अर्थात उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम हेतु सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के प्रकरण में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षा तथा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

पीएसयूज द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

समय पर अंतिम रूप देने एवं प्रस्तुत करने की आवश्यकता

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 एवं 395 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के कामकाज एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार किया जाना होता है एवं इसकी तैयारी के बाद जितना जल्दी हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सीएजी द्वारा किये गये पूरक या किसी भी टिप्पणी के साथ, सदन या राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों में रखी जानी होती है। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले विधानों में निगमों के लिये लगभग समान प्रावधान हैं। यह तन्त्र राज्य के समेकित कोष से सरकारी कम्पनियों एंव सांविधिक निगमों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम करने की आवश्यकता है। यह भी बताया गया है कि पूर्व और आगामी एजीएम की तिथियों में 15 माह से ज्यादा का अन्तर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 बताती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को उक्त एजीएम में उनके विचार करने के लिए रखा जाना चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर कम्पनी के निदेशकों सहित, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में अर्थदण्ड एवं कारावास जैसे शास्ति के आरोपण का प्रावधान किया गया है।

सरकार एवं विधानमण्डल की भूमिका

6. राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण रखती है। मुख्य कार्यकारी एवं बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधानमण्डल सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग का अनुश्रवण भी करता है। इसके लिए राज्य सरकार की कम्पनियों के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन एवं सांविधिक निगमों के मामले में जैसा कि सम्बंधित अधिनियमों में निर्धारित किया गया है, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल के सामने रखे जाते हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सीएजी के (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों) अधिनयम, 1971 की धारा 19ए के तहत सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयूज) में निवेश

7. उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) की पीएसयूज में उच्च वित्तीय भागीदारी है। यह मुख्यतः तीन प्रकार की है:

- **शेयर पूँजी एवं ऋण** – शेयर पूँजी योगदान के अतिरिक्त, जीओयूपी समय–समय पर सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता** – जीओयूपी पीएसयूज को आवश्यकता के अनुसार अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- **प्रत्याभूतियाँ** – जीओयूपी वित्तीय संस्थानों से पीएसयूज द्वारा लिये गये ऋण की ब्याज के साथ पुर्नभुगतान की प्रत्याभूति भी देती है।

8. 31 मार्च 2019 को पीएसयूज में निवेश का क्षेत्रवार सारांश **तालिका 2** में दिया गया है।

तालिका 2: पीएसयूज में क्षेत्रवार कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियां		सांविधिक निगम		योग	कुल निवेश का रूप	
	इस प्रतिवेदन में शामिल	इस प्रतिवेदन में नहीं शामिल	इस प्रतिवेदन में शामिल	इस प्रतिवेदन में नहीं शामिल		पूँजी	दीर्घावधि ऋण
ऊर्जा	1,97,352.73	2.27	-	-	1,97,355.00	1,17,914.35	79,440.65
ऊर्जा के अतिरिक्त	11,608.62	8,549.16	1,518.94	872.34	22,549.06	8,614.00	13,935.06
योग	**2,08,961.35**	**8,551.43**	**1,518.94**	**872.34**	**2,19,904.06**	**1,26,528.35**	**93,375.71**

स्रोतः पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं, पूँजी एवं ऋण के लिए अनुमोदन/जारी आदेशों एवं पीएसयूज से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएसयू में किये गये निवेश का प्रभुत्व ऊर्जा क्षेत्र पर था। 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान ₹ 53,754.15 करोड़ के कुल निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र को ₹ 41,114.61 करोड़ (76.49 प्रतिशत) का निवेश प्राप्त हुआ।

9. 31 मार्च 2017 एवं 31 मार्च 2019 के अन्त में ऊर्जा एवं ऊर्जा के अतिरिक्त क्षेत्र में निवेश **चार्ट 1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1: पीएसयूज में क्षेत्रवार निवेश

(आँकड़े ₹ करोड़ में)

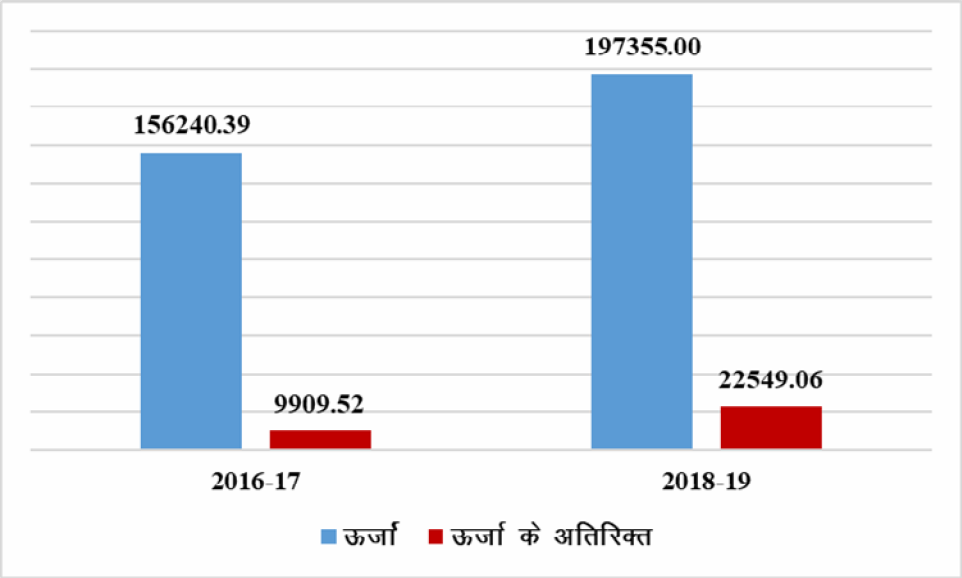

ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए, इस प्रतिवेदन के भाग अ के भाग–I[6] में ऊर्जा क्षेत्र के 15 पीएसयूज के एवं भाग–II[7] में 99 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखापरीक्षा के परिणामों को पृथक रूप में प्रस्तुत किया गया है।

[6] भाग–I में अध्याय–I (ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप) एवं अध्याय–II (ऊर्जा क्षेत्र से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण) शामिल हैं।

[7] भाग–II में अध्याय–III (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के कार्यकलाप) एवं अध्याय–IV (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण) शामिल हैं।